

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 01/2017


प्रार्थी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा  
एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नेताराम पुत्र अजाजी माली निवासी  
145 विशनोई का वास, सिलोसल  
तहसील सांचोर जिला जालोर  
( वाहन संख्या GJ 08 8763 बोलेरो  
पिकअप)
2. जगदीश कुमार बाबूलाल कानूड़ावाला  
(प्रोप्राइटर मै0 श्री सवाई मिल्क  
प्रोटीन्स) शोप नं. 31 फर्स्ट फ्लोर के  
पी मार्केट, झरडीया वास, बस डिपो  
के पीछे, एन.एच. 15 सांचोर, जिला  
जालोर
3. जगदीश कुमार बाबूलाल कानूड़ावाला  
(प्रोप्राइटर मै0 श्री सवाई मिल्क  
प्रोटीन्स) प्लॉट नं0 195 GIDC Estate  
चंडीसर, त0 पालनपुर (बनास फांटा)  
गुजरात



परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं  
मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

- उपस्थित:-
1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
  2. श्री लोकेश चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से।
  3. अप्रार्थी संख्या 1 एक तरफा।

निर्णय

दिनांक 31.5.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.2.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर को जरिये मुखबीर सूचना मिलने पर धोरीमना से बाड़मेर की ओर एक वाहन संख्या GJ 08 8763 जो गुजरात से जैसलमेर जा रही थी, को सदर थाना बाड़मेर के पास रूकवा कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त वाहन में घी (हेल्थ) 500 एमएल के जार, जो कि 35 कार्टून (एक कार्टून में 30 जार) व 15 कि.ग्रा. के 90 टिन में भरा हुआ था। वाहन चालक से पूछताछ करने पर बताया कि खाद्य पदार्थ

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

घी (हेल्थ) सांचोर जिला जालोर से लोड कर जैसलमेर ले जा रहा था। वाहन चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम नेताराम पुत्र अजाजी जाति माली निवासी 145 विश्नोई का वास, सिलोसल तहसील सांचोर जिला जालोर बताया। ,खाद्य पदार्थ घी (हेल्थ) में मिलावट का संदेह होने पर रूपये 840/-नकद देकर 500 ग्राम के कुल 04 जार खरीदे। खरीद गये 04 जारो पर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर लेबल चिपकाये गये। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मौटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप पी. 736 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को क्राँस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया। गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गयी। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.736 जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटडोर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ घी (हेल्थ) का नमूना पी.736 की जाँच रिपोर्ट एलएस/102/एक्ट/2017/103 दिनांक 21.2.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (हेल्थ) का नमूना अवमानक (Sub-standerd) व मिसब्राण्ड (Misbranded) स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी (हेल्थ)



W —  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.736 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं० 01 एक तरफा। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निवेदन किया।
3. हमने प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 12.2.2017 को चैकिंग के दौरान वाहन संख्या GJ 08 8763 जो गुजरात से जैसलमेर जा रही थी, की सदर थाना बाड़मेर के पास ली गई तलाशी के दौरान वाहन में घी (हेल्थ) 500 एमएल के जार, जो कि 35 कार्टून (एक कार्टून में 30 जार) व 15 कि.ग्रा. के 90 टीन में भरा हुआ पाया गया। उक्त घी(हेल्थ) में मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान घी (हेल्थ) का नमूना पी.736 अवमानक (Sub-standerd) व मिसब्रान्ड (Misbranded) स्तर का पाया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 52 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. हमने सहायक लोक अभियोजक प्रथम की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/102/एक्ट/2017/103 दिनांक 21.2.2017 के अनुसार अप्रार्थीगण अभियुक्त द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ घी(हेल्थ) का सैंपल पी. 736 जॉच रिपोर्ट में



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अवमानक (Sub-standerd) व मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया है जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते हैं।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अभियुक्त नेताराम व जगदीश कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत पाये गये अवमानक (Sub-standerd) व मिसब्राण्ड (Misbranded) पदार्थ बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में अवमानक (Sub-standerd) व मिसब्राण्ड (Misbranded) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 01 पर रूपये पांच हजार मात्र, अप्रार्थी संख्या 02 पर पच्चीस हजार रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 31.5.2017 के एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओपीओ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर